

कार्यालय नगर पालिका, खरखौदा

प्रेषक

सचिव,
नगर पालिका खरखौदा।

प्रेषित

जिलाधीश महोदय,
सोनीपत।

विषय:-

क्रमांक 1823 दिनांक 17/12/2019
Regarding Issue of NOC for setting up retail outlet (Petrol Pump) for land measuring 935.82 Sq. Mtr. bearing Khasra No. 132//16/2/1, at village Kharkhoda, Tehsil & Distt. Sonapat. Smt. Simran Bagri w/o Sh. Rakesh Bagri R/O H.No.694 P. Sector 5 Gurugram as per registry.

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र क्र० 1706-16 दिनांक 19.09.2019, जो कि इस कार्यालय में डाक प्राप्ति सं० 822 दिनांक 05.12.2019 को प्राप्त हुआ है, के सन्दर्भ में।

विषयाधीन मामले बारे अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित पत्र में दर्शाए गये स्थल के संबंध में नगर पालिका खरखौदा में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड का अवलोकन के अनुसार पाया गया कि उक्त स्थल नगर पालिका खरखौदा की बढ़ी हुई सीमा में स्थित है जिसकी CLU बारे नगर पालिका खरखौदा में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जो कि खसरा न०.132//16/2/1.खरखौदा, सोनीपत में लगाने बारे हुआ। जो कि CLU हेतु इस कार्यालय के पत्र क्र० 356 दिनांक 29.11.2019 के माध्यम से निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला को भेजा हुआ है। जिस बारे नगर पालिका खरखौदा को उपरोक्त वर्णित खसरा न०. में रिटेल आउट लेट(पेट्रोल पम्प) लगाने पर निम्नलिखित शर्तों/नियमों के आधार पर कोई आपत्ति ना है:-

1. नगर पालिका खरखौदा द्वारा जारी अनापति प्रमाण पत्र विषय स्थल पर लागू अन्य विभागों के एक्ट एवं नियमों में कोई छूट प्रदान नहीं करता है।
2. विषय स्थल बारे फायर की NOC तथा जिला नगर योजनाकार से Haryana Urban Area Act 1975 तथा 1963 में दिए गए प्रावधानों की कोई उल्लंघना न हो रही हो बारे, NOC लेना अनिवार्य रहेगा।
3. उक्त Retail Outlet लगाने से पूर्व स्थल का नक्शा स्वीकृत करवाया जाना अनिवार्य होगा या CLU उपरांत ही Retail Outlet लगाये जाने की अनुमति दी जानी उचित होगी।
4. CLU या सरकार की हिदायतोंनुसार जारी सभी शुल्क/फीस सम्बन्धित एजेंसी/व्यक्ति द्वारा जमा करवाए जाने अनिवार्य होंगे।
5. उक्त Retail Outlet लगाने/चालू करने से पूर्व एजेंसी/व्यक्ति द्वारा Haryana Municipal Building Code 2017 में जारी हिदायतों, Haryana Municipal Committee Act 1973 में वर्णित प्रावधानों/नियमों व सरकार द्वारा समय-2 पर जारी हिदायतों की पालना करना अनिवार्य होगा।
6. उक्त Retail Outlet लगाने/चालू करने से पूर्व एजेंसी/व्यक्ति द्वारा Haryana Municipal Committee Act 1973 में वर्णित प्रावधानों की पालना करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी की उल्लंघना पाई जाती है तो नगर पालिका खरखौदा द्वारा जारी अनापति प्रमाण पत्र स्वतः रद्द समझा जाएगा जिसके लिए एजेंसी/व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सचिव,
नगर पालिका खरखौदा।

18/12/19